137

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी क्रमाक /2016 जवलपुर R 4131-I-16

हरप्रसाद गौड पिता श्री छोटेलाल गौड , निवासी मकान नं. 110 ग्राम सिवनीटोला , तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

..आवेदक

श्री ____ द्वारा आज ____ 5-12-16 को प्रस्तुत

रीडर/क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1.मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर

2 किशोर काल्पीवार पिता श्री मोहनचंद कालपीवार निवासी आजाद वार्ड तहसील मण्डला जिला मण्डला म.प्र. ।

..........अनावेदकगण

694 / 5-12-16

न्यायालय कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 138/अ–21/2015–2016 मे पारित आदेश दिनांक 21-11-16 .2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम जैताखेडा प0ह0न0 68 रा.नि.मं. चरगवां तहसील शजपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं. 3/4, 3/9,3/10,.3/11, रकवा 0.19, 0.80,0.20, 0.20 कुल रकवा 1.39 हे0 भूमि आवेदक की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो भूमि कम उपजाउ है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय की अनुमति चाही गई है जो विकय हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विकय की अनुमति दी जावे ।

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4131 /1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
19.12.16	यह निगरानी कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण कमाक 138/अ--21/2015--16 में पारित आदेश दिनांक 21–11--2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू– राज्य संहिता 1959 की धारा 50 कें अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने कलेक्टर जवलपुर को आवेदन पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जैताखेडा प.ह.नं. 68 रा.नि.मं.चरगवां, तहसील शजपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 3/4, 3/9,3/10, 3/11 रकवा कमश 0.19 , 0.80, 0.20 , 0.20 है0 कुल रकवा 1.39 हे. उबड –खाबड होने एंव अन –उपजाउ होने से भूमि को विकय कर शेष बच रही भूमि की उन्नती हेतु भूमि को विकय किये जाने की अनुमति मांगी। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 138/अ–21/2015–16 पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण मे पेशी दिनांक 8.8.2016 नियत की गई उसके वाद दिनांक 5.9.2016 को की गई 5.9.2012 के वाद प्रकरण में पेशी काफी लम्बी 5.12.2016 नियत की गई आवेदक द्वारा प्रकरण में शीघ्र प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु शीघ्र सुनवाई वावत आवेदन पत्र दिया कि प्रकरण में काफी विलम्ब होने से आवेदक को काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड रहा है इसलिये प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की जाकर आवेदक के स्वामित्व की भूमि को विकय की अनुमति दी जावें परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र को यह कहते हुये निरस्त कर दिया कि उचित प्रतीत नही होता है। एवं प्रकरण में काफी लम्बी पेशी दिनांक 5.12.2016 नियत की जाकर प्रकरण को पेन्डिग कर दिया गया जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3– निगरानी मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4– आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि आवेदक ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे कमाक 3/4, 3/9,3/10, 3/11 रकवा कमश 0.19 , 0.80, 0.20 , 0.20 है0 कुल रकवा 1.39हे. के विकय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि यह भूमि पडती कम उपजाउ और कृषि हेतु अनुपयुक्त एंव पथरीली होने एव निवास स्थान से दूर होने के कारण विकय करना चाहता है। उसके पास विकय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्रम सिवनी पटवारी हल्का नंबर 36 रा.नि.म. जवलपुर तह. व जिला जवलपुर स्थित खसरा नंबर 99 रकवा 0.93 हे. एंव खसरा नं 217 रकवा 0.29 हे. ,खसरा नं 222 रकवा 0.40 हे. , खसरा 233 रकवा 0.78 हे., खसरा नं 248 रकवा 0. 22 हे. , खसरा नं 332 रकवा 0.08हे. , खसरा 335 रकवा 0.85 हे. कुल रकवा 3.58 हे. भूमि शेष बचती है जो कि उसके व उसके परिवार के भरण पोषण हेतु प्रर्याप्त है। जिसके कारण विकय की जाने वाली भूमि के विकय उपरांत वह भूमिहीन नही होगा एंव भूमि विकय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत वनायेगा इसलिये भूमि विकय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अडचन नजर नही आती है। वैसे भी आवेदक द्धारा विकय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है आवेदक द्धारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकय की अनुमति मांगी गई है, । माननीय वरिष्ठ न्यायालय के कई न्याय सिंद्धात प्रतिपादित है कि आवेदक अपनी भूमि स्वामी की भूमि को या पटटे से प्राप्त की गई भूमि को 10 वर्ष के पश्चात विकय कर सकता है इसके लिये कलेक्टर से विकय की अनुमति की भी आवश्यकता नही है। एवं कई न्याय सिद्धात भी इस प्रकार है–

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0–08–माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू–राजस्व संहिता ,1959 (म0प्र0)–धारा 165(7–ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये

—बिना अनुमति के भूमि का अंतरण—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया—उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया —उपबंध आकर्षित नही होते—भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात —नवीन उपवंध का अंतःस्थापन —भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नही की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में व्यवस्था की गई है कि भू—राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)—धारा 165(7—ख) सरकारी पटटेदार द्धारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार
अंर्जित किये —भूमि का विकय कर सकता है — कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नही है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्धारा प्रकरण क 138/अ—21/2015—16 अपील मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्प्रम ग्राम जैताखेडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं.चरगवां, तहसील शजपुरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 3/4, 3/9, 3/10, 3/11 रकवा कमश 0.19 , 0.80, 0.20 , 0.20 है0 कुल रकवा 1.39 हेक्टेयर के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का कय—विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का कय —विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3—केता द्धारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य